न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2021 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग एफबीओ मैसर्सः— गर्ग किराना स्टोर, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/ 440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.01.2021 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्सः—गर्ग किराना स्टोर, मम्मू कॉलोनी भरतपुर रोड महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक खुले कट्टे में करीबन 10 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा मिर्च पाउडर(लूज) खरीदा। जिसकी कीमत 400 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—2586 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.01.2021 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.01.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.01.2021 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./79/एक्ट/2021/254 दिनांक 09.02.2021 के अनुसार यह नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ और ना ही जवाब प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./79/एक्ट/2021/254 दिनांक 09.02.2021 के अनुसार यह नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /79/एक्ट/2021/254 दिनांक 09.02.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग एफबीओ मैसर्सः—गर्ग किराना स्टोर, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा पर 10000/— (अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक/FSSA/ दिनांकः— .07.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग
   एफबीओ मैसर्सः— गर्ग किराना स्टोर, मम्मू कॉलोनी, भरतपुर रोड महवा जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा